राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(5) ग्रावि / नरेगा / मा.द. / 09–10

जयपुर, दिनांकः– 1 9 JUN 2009

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जॉब कार्ड के सबंध में।

सन्दर्भः– विभागीय पत्रांक एफ 4(5) ग्रावि / नरेगा / मा.द. / 07–08 दिनांक 19.03.08

महोदय,

राज्य सरकार को जॉब कार्ड बनाये जाने के सबंध में शिकायतें मिल रही है कि कुछ जिलों में राशन कार्ड को आधार मानकर या सयुक्त परिवार का एक ही जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। इस सबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में स्पष्ठतः निर्देश जारी किये जा चुके है।

पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देश 2008 के बिन्दु संख्या 5.1.3 में वर्णित है कि:–

"Household will mean a nuclear family comprising mother, father and their children, and may include any person wholly or substantially dependent on the head of the family. Household will also mean a single-member family".

उपरोक्तानुसार परिभाषित परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जावें। सयुक्त परिवार के विभाजन की स्थिति में पृथक–पृथक जॉब कार्ड जारी किये जाये। परिवार के विभाजन अथवा नया जॉब कार्ड जारी करने के लिए किसी भी प्रकार के शपथ पत्र आदि की आवश्यकता नहीं है

भवदीय,

राजेन्द्र भाणावत
आयुक्त (ईजीएस)

प्रतिलिपि निम्न को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, समस्त राजस्थान।
4. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस समस्त राजस्थान।
5. जन सम्पर्क निदेशालय को मुख्य समाचार पत्रो में समाचार के रुप में जारी करने हेतु।

19/6/09

अधिशाषी अभियन्ता(वि.) ईजीएस